गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

(नैक द्वारा "A++" ग्रेड प्राप्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
कोनी, बिलासपुर–495009 (छ.ग.)
दूरभाष : 07752–260209, फैक्स : 07752–260154
ई–मेल : ggv.registrar@gmail.com, वेबसाईट : www.ggu.ac.in

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

(A Central University with "A++" Grade Accredited by NAAC)
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)
Phone : 07752-260209, Fax : 07752-260154
E-Mail : ggv.registrar@gmail.com, Website : www.ggu.ac.in

क्रमांक 582/बै.प्र./स्था.स./2025 बिलासपुर, दिनांक :06.09.2025

प्रति,

समस्त सम्माननीय सदस्यगण
All Hon'ble Members
विद्यापरिषद् की स्थायी समिति,
Standing Committee of Academic Council
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya
बिलासपुर (छ.ग.)
Bilaspur (C.G.)

विषय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 220वीं बैठक दिनांक 06.09.2025 के कार्यवृत्त का प्रेषण।
Subject :- Dispatch of minutes of 220th meeting of Standing Committee of Academic Council dated 06-09-2025.

---0---

महोदय/महोदया,
Sir/Madam

विषयान्तर्गत, दिनांक 06.09.2025 को आयोजित विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 220वीं बैठक का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ एवं अभिलेख हेतु संलग्न प्रेषित है।

Under the subject, the minutes of the 220th meeting of the Standing Committee of the Academic Council held on 06-09-2025 is enclosed for perusal and record.

आदेशानुसार/By order,

कुलसचिव (कार्यवाहक)/Registrar (Acting)

पृ0 क्रमांक 583/बै.प्र./स्था.स./2025 बिलासपुर, दिनांक : 06.09.2025

प्रतिलिपि/Copy to :–

01. कुलपति के सचिव की ओर माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
The Secretary to the VC for the information of the HVC.
02. कुलसचिव के निज़ सहायक की ओर कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
The PA to the Registrar for inf ormation of the Registrar.
03. निदेशक, आईक्यूएसी/सहायक कुलसचिव–अकादमिक/प्रशासन/विकास/वित्त, प्रभारी विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
Director, IQAC/Assistant Registrar - Academic/Administration/Development/ Finance/Incharge University website for information and necessary action.
04. कार्यालय प्रति।
Office Copy.

कुलसचिव (कार्यवाहक)/Registrar (Acting)

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 220वीं बैठक दिनांक 06.09.2025 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 220वीं बैठक दिनांक 06.09.2025 को प्रातः 11.00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव (कार्यवाहक) ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :—

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
3.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
4.	प्रो0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
5.	प्रो0 सी.एस. वझलवार	सदस्य
6.	प्रो0 ब्रजेश तिवारी	सदस्य
7.	प्रो0 एस.सी. तिवारी	सदस्य
8.	प्रो0 एच.एस. तिवारी	सदस्य
9.	प्रो0 रामकृष्ण प्रधान	सदस्य
10.	प्रो0 पी.पी. मूर्ति	सदस्य
11.	डॉ0 निधि संदल, प्रभारी अधिष्ठाता विधि विद्यापीठ	सदस्य
12.	प्रो0 बी.डी. मिश्रा	सदस्य
13.	प्रो0 संतोष कुमार प्रजापति	सदस्य
14.	डॉ0 एम.एस. धपोला	सदस्य
15.	डॉ0 सुबल दास	सदस्य
16.	डॉ0 गीता मिश्रा	सदस्य
17.	प्रो0 भारती अहिरवार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी—विकास	विशेष आमंत्रित सदस्य
18.	प्रो0 अमित कुमार सक्सेना, निदेशक, आईक्यूएसी	विशेष आमंत्रित सदस्य
19.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, अधिष्ठाता—छात्र कल्याण	विशेष आमंत्रित सदस्य
20.	डॉ0 एस.एम. दास, प्रभारी—परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित सदस्य
21.	प्रो0 बुद्धेश्वर प्रसाद सिंघरौल, वित्ताधिकारी	विशेष आमंत्रित सदस्य
22.	डॉ0 ए.के. शर्मा, ग्रंथपाल	विशेष आमंत्रित सदस्य
23.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, निदेशक, ओडीएल	विशेष आमंत्रित सदस्य
24.	प्रो0 आलोक कुमार सिंह कुशवाहा, निदेशक, एमएमटीटीसी	विशेष आमंत्रित सदस्य
25.	डॉ0 गणेश प्रसाद शुक्ला, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी—भण्डार	विशेष आमंत्रित सदस्य
26.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :—

1. प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी, समन्वयक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020
2. प्रो0 आर.के. चौबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, यांत्रिकी

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति महोदय द्वारा प्रेरणादायी उद्बोधन दिया गया तथा कुलपति महोदय ने अपने उद्बोधन में बताया कि संस्थान के विकास में सबका सहयोग आवश्यक है। तदोपरान्त निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये :—

Ranadive
06-09-2025

06/09/2025

विषय क्र.01 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 219वीं बैठक दिनांक 26.08.2025 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 219वीं बैठक दिनांक 26.08.2025 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 219वीं बैठक दिनांक 26.08.2025 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की 219वीं बैठक दिनांक 26.08.2025 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विद्यार्थियों को अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान करने, इंटर्नशिप, विश्वविद्यालय में बाहर से इंटर्नशिप हेतु आने वाले विद्यार्थियों के लिए नीति का प्रारूपण एनईपी समन्वय समिति द्वारा किया जायेगा।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि एनईपी समन्वय समिति द्वारा उपरोक्तानुसार नीति का प्रारूप तैयार कर दिनांक 18.09.2025 तक कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

विषय क्र. 03. **सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 21.08.2025 द्वारा अनुशंसित Pre-Ph.D. Coursework in Environmental Engineering का पाठ्यक्रम एवं अंक योजना के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 21.08.2025 द्वारा अनुशंसित Pre-Ph.D. Coursework in Environmental Engineering का पाठ्यक्रम एवं अंक योजना का प्रस्तुत प्रस्तावानुसार आंशिक संशोधन के साथ अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।

विषय क्र. 04. **फार्मेसी विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 29.07.2025 द्वारा अनुशंसित Five short term course based on NEP 2020 for students of other departments, B.Pharm., D.Pharm. की आंशिक संशोधित अंक योजना एवं Certificate Course का पाठ्यक्रम एवं अंक योजना के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि फार्मेसी विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 29.07.2025 द्वारा अनुशंसित Five short term course based on NEP 2020 for students of other departments, B.Pharm., D.Pharm. की आंशिक संशोधित अंक योजना एवं Certificate Course कापाठ्यक्रम एवं अंक योजना का प्रस्तुत प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरुप हो।

विषय क्र. 05. **संगणक विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के बी.एससी. कम्प्यूटर साइंस के छठवें सेमेस्टर (Backlog) के छात्र सुदीप शास्त्री, नामांकन क्रमांक–GGV/22/5167 के विरूद्ध अनुशासन समिति के द्वारा की गई अनुशंसा एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि के संबंध में विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विभागीय जांच समिति की अनुशंसाओं को मान्य करते हुए कृत कार्यवाही की पुष्टि की एवं निर्णय लिया कि विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

Randive 06.09.2025   06/09/2025

विषय क्र. 06. **विश्वविद्यालय परिसर में प्रशासनिक कार्य में बाधा पहुंचाने वालों एनएसयूआई के छात्र सुदीप शास्त्री एवं श्री सार्थक मिश्रा (विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र) के लिए उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं आदेश जारी करने पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने प्रस्तुत विषय पर चर्चा एवं विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि दोनो विद्यार्थियों श्री सुदीप शास्त्री एवं श्री सार्थक मिश्रा का विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाय एवं इस हेतु आवश्यक आदेश निर्गत किया जाय।

विषय क्र. 07. **ग्रामीण प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक विकास विभाग के सुधार एवं पुनरोद्धार के लिए गठित समिति की बैठक दिनांक 30.08.2025 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत विषय स्थगित रखा जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र .01 **CDOE के अंतर्गत CIQA वार्षिक प्रतिवेदन UGC-DEB पोर्टल में अपलोड करने की सूचना एवं आगामी कार्यवाही के संबंध में विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने प्रस्तुत विषय पर चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया कि प्रस्तावानुसार जानकारी वेब पटल पर अपलोड कर दिया जाय एवं हार्ड कॉपी UGC-DEB Office को प्रेषित की जाय।

अ.अ.वि.क्र .02 **प्रो0 (डॉ0) निकेश ए. शाह, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट को भौतिकी में एडजंक्ट फैकल्टी के रूप में अनुशंसित किये जाने पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रो (डॉ0) निकेश ए. शाह को भौतिकी विभाग में एडजंक्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाय।

अ.अ.वि.क्र .03 **इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 08.08.2025 द्वारा अनुशंसित B.Tech. 1st Year की आंशिक संशोधित अंक योजना के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 08.08.2025 द्वारा अनुशंसित B.Tech. 1st Year की आंशिक संशोधित अंक योजना का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।

अ.अ.वि.क्र .04 **गुरू घासीदास विश्वविद्यालय (जीजीवी) में Department of Design and Emerging Technology की स्थापना के संबंध में विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि नवीन विभाग खोले जाने संबंधी प्रस्ताव पृथंक से प्रस्तुत किया जाय एवं इस पर नियमानुसार कार्यवाही पृथक से की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्तावानुसार पाठ्यक्रम बी–डेस., एम–डेस. विश्वविद्यालय के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में प्रारम्भ किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय।

Ranadive 06-09-2025

अ.अ.वि.क्र .05 **गुरू घासीदास विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय जैन संघटना (छत्तीसगढ़) के सहयोग से "स्वास्थ्य सेवा योजना" प्रारम्भ किये जाने पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि स्वास्थ्य सेवा योजना संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव को स्थगित रखा जाय।

अ.अ.वि.क्र .06 **फिटनेस एवं वेलनेस सेंटर (जीजीवी) में फिजियोथेरेपी उपकरणों की स्थापना के संबंध में विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि फिटनेस एवं वेलनेस सेंटर (जीजीवी) में फिजियोथेरेपी उपकरणों की स्थापना संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्तावानुसार उपकरण क्रय हेतु राशि रूपये 1,36,895/— की स्वीकृति प्रदान की जाय।

अ.अ.वि.क्र .07 **शारीरिक शिक्षा, योग एवं खेल विज्ञान विभाग से प्राप्त तीन प्रस्तावों के अनुमोदन के संबंध में विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि शारीरिक शिक्षा, योग एवं खेल विज्ञान विभाग से प्राप्त तीनों प्रस्तावों का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्तावानुसार जिम तैयार करने हेतु धनराशि 60 लाख रूपये एवं बॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित करने धनराशि 15 लाख रूपये के बजट प्रावधान करते हुए स्वीकृति प्रदान की जाय।

अ.अ.वि.क्र .08 **छात्रावास में विद्यार्थियों के प्रवेश एवं एक छात्रावास से दूसरे छात्रावास में विद्यार्थियों के स्थानान्तरण संबंधी प्रस्ताव पर विचार।**

निर्णय :— छात्रावास में विद्यार्थियों के प्रवेश एवं एक छात्रावास से दूसरे छात्रावास में विद्यार्थियों के स्थानान्तरण संबंधी प्रक्रिया पर विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.10.2023 के अ.अ.वि.क्र.—01 में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिये गये —

"छात्रावास में विद्यार्थियों के प्रवेश एवं एक छात्रावास से दूसरे छात्रावास में विद्यार्थियों के स्थानान्तरण संबंधी प्रक्रिया पर चर्चा की गई तथा छात्रावास अधीक्षक के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार किया गया।

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विद्यार्थियों को छात्रावासों में मैरिट के आधार पर ही प्रवेश दिया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि छात्रावास में निवासरत् विद्यार्थियों के द्वारा छात्रावास में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता करने पर छात्रावास के नियमों की सुसंगत प्रावधानों के तहत् उक्त विद्यार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने अथवा निष्कासित करने का निर्णय संबंधित छात्रावास के प्रशासनिक अधीक्षक एवं मुख्य छात्रावास अधीक्षक के द्वारा लेने एवं तत्काल कार्यवाही कर प्रशासन को सूचित करने हेतु अधिकृत किया जाता है।"

छात्रावास में विद्यार्थियों के प्रवेश एवं एक छात्रावास से दूसरे छात्रावास में विद्यार्थियों के स्थानान्तरण किये जाने संबंधी निर्णय का पालन हो रहा है, परन्तु अनुशासनहीनता से संबंधित निर्णय की सूचना निर्गत नही हुई है। अतः विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि निर्गत आदेश को संशोधित करते हुए आगामी कार्यवाही यथाशीघ्र की जाय।

06-09-2025

06/09/2025

अ.अ.वि.क्र .09 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष अधिष्ठाता छात्रकल्याण के माध्यम से यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को लघु फिल्म, वृत्तचित्र (डॉक्यूमेंट्री) फिल्म इत्यादि बनाये जाने हेतु प्रेरित किया जाय एवं इसके लिए प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाय। प्रतियोगिता के विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय। स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त प्रतियोगिता के आयोजन हेतु समन्वयक एवं सह–समन्वयक नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

Ranadive 06-09-2025

कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव

06/09/2025

कुलपति / अध्यक्ष